संख्या-48 /2026/I/1282631/2026 /001-71-2099-2896-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-29-03-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में एडवान्स डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर हेतु उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरण की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

--------------------

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 के पत्र संख्या-3277/वित्त एवं लेखा/2026, दिनांक 24.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में एडवान्स डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर हेतु उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरण की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 100.00 लाख निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एडवान्स डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में धनराशि रू0 100.00 लाख की सूची अनुमोदित करते हुए विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-88-डायबेटिक रेटिनौपैथी सेन्टर-8801-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| S.No. | Equipment Name | प्रस्तावित/अनुमोदित लागत (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | Ophthalmic Chair (03) | 07 |
| 2 | High end 3 step Slit Lamps with Applanation Tonometer (03) | 15 |
| 3 | High end 5 step Slit Lamps with recording system (01) | 10 |
| 4 | Indirect Ophthalmoscope (3) | 05 |
| 5 | Indirect Ophthalmoscope with recording system (01) | 06 |
| 6 | High end Ophthalmic motorized OT Tables (01) | 03 |
| 7 | Ophthalmic OT Table for Intravitreal Injection (2) | 03 |
| 8 | Surgeon Motorized Chairs (3) | 03 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Surgical Instrument (Miscellaneous) | 08 |
| | **Total-** | **60** |
| 1 | **ERG Machine** | **40** |
| | **Grand Total-** | **100.00** |

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के संबंधित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं कुलपति, विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ की होगी।
2. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा।
3. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
4. उपकरणों के प्रोप्राइटरी होने का निर्धारण किये जोन की दायित्व, क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन व क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व कुलपति, विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
5. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
6. उक्त उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. पारदर्शी प्रकिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
11. संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा। वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
12. सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. क्रय एवं वित्तीय नियमों, शर्तों व प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रश्नगत धनराशि का प्रस्तावित मद में ही व्यय किया जाये।
14. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
15. कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकांश उपकरणों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर हो और उपकरणों के प्रस्तावित मूल्य बाजार दर से संगत एवं औचित्यपूर्ण हैं।
16. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यायल, उ0प्र लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058801 के.जी.एम.यू.,लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-48 **/2026/**I/1282631/2026 **/001-71-2099-2896-2020, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।